खुले बोरवेल एवं कुंओं पर नहीं किया नियंत्रण, तो दुर्घटना को कर रहे हम आमंत्रण

पिछले 10 वर्षों में खुले कुंओं व बोरवेल में गिरने से 500 से ज्यादा बच्चों की एवं 2000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुले कुओं व बोरवेल की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।
- जिला कलेक्टर/सरपंच को कुंआ/बोरवेल बनाने से पहले सूचना देना अनिवार्य।
- कुंआ/बोरवेल खोदने वाली फर्म का पंजीयन आवश्यक।
- खुले कुए की सुरक्षा अनिवार्य।
- मुंडेर व चबुतरा बनाना आवश्यक।
- असुरक्षित/अनुपयोगी कुएें की भराई तत्काल।

मुण्डेर वाले कुंए एवं बोरवेल के लाभ

- ❖ प्रदुषण से बचाव ❖ शुद्ध एवं स्वच्छ जल
- ❖ बच्चों या जानवरों के गिरने का कोई खतरा नहीं है।
- ❖ गहरे पानी का तापमान स्थिर रहता है इसलिए गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है।
- ❖ बोरवेल गहरे होते हैं, गर्मियों में पानी उपलब्ध होने की संभावना अधिक है।
- ❖ जल संग्रह ❖ उपयोग में आसानी

हम सभी का बस
यही हो नारा
कुंए पर मुण्डेर बनाना
लक्ष्य हो हमारा

हर कुंए पर मुण्डेर का निर्माण हो, जनता की सुरक्षा का हर संभव प्रयास हो।

बिना अनुमति बोरवेल या कुंआ खुदाने पर प्रतिबंध है और इन्हें खुला रखकर खतरनाक अवस्था में रखना कानूनन अपराध है।

जनहित में जारीः

हेल्प लाईन नं.
15100
9928900900

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
Phone : 0141-2227481, Fax : 2227602
Email: E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website
www.rlsa.gov.in

Premier# 9783855551